प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम – जनपद–उत्तरकाशी के ब्लाक–मोरी में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत ग्राम–डामटी थुनारा के विद्युतीकरण का कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–डामटी थुनारा
तहसील–मोरी, जिला–उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के निर्माण हेतु (1.75 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.40 हे0 सिविल सोयम भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि) निजी भूमि 0.10 हे0 अर्थात कुल 2.25 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डामटी थुनारा द्वारा दिनांक 28/12/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डामटी–थुनारा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 2.15 हे0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित
प्रधान
ग्राम पंचायत-थुनारा
वि0ख0-मोरी(उ0का0)